



सं.प्रशा.॥/समिति/2022

दिनांक : 01 अप्रैल, 2022

कार्यालय ज्ञापन

विषय: इंटरवैशनल स्टडीज़ के लिए संस्थान एथिक्स समिति के पुनर्गठन - के संबंध में।

उर्पयुक्त विषय पर सभी आदेशों के अधिक्रमण करते हुए दिनांक 01.04.2022 से निम्नलिखित सदस्यों के साथ इंटरवैशनल स्टडीज़ के लिए संस्थान एथिक्स समिति का पुनर्गठन किया गया है।

क्रम सं.	नाम व पदनाम	नामित किया गया	योगदान
1	डॉ. अनिल पूर्ति, आचार्य, रोधक एवं सामाजिक आयुर्विज्ञान विभाग, पिम्स, पुदुच्चेरी	अध्यक्ष	अध्यक्ष (बाह्य)
2	डॉ. सी. सुताकरन, भेषजगुणविज्ञान के आचार्य, सवीता मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल, सवीता नगर, तन्डलम, तमिलनाडु - 602105	उपाध्यक्ष	उपाध्यक्ष (बाह्य)
3	डॉ. प्रशांत गणेशन, अपर आचार्य एवं विभागाध्यक्ष, मेडिकल ऑनकोलाजी विभाग, जिपमेर।	सदस्य	चिकित्सक
4	डॉ. नोनिका राजकुमारी, सूक्ष्मजीव विज्ञान के अपर आचार्य, जिपमेर।	सदस्य	बुनियादी चिकित्सा वैज्ञानिक
5	डॉ. चन्नवीरप्पा .बी, आचार्य, कायचिकित्सा	सदस्य	चिकित्सक
6	डॉ. मान्सी .एम, सहायक आचार्य, समाज विज्ञान विभाग, पांडिच्चेरी विश्वविद्यालय, पुदुच्चेरी।	सदस्य	सामाजिक वैज्ञानिक (बाह्य)
7	डॉ. कृष्णकुमारी, वरिष्ठ तकनीकी अधिकारी, वी.सी.आर.सी, पुदुच्चेरी।	सदस्य	सामाजिक वैज्ञानिक (बाह्य)
8	श्रीमती प्रिया .के, सहायक आचार्य, केमिकल इंजीनियरिंग, पांडिच्चेरी इंजीनियरिंग कॉलेज, पुदुच्चेरी।	सदस्य	ले पर्सन (बाह्य)
9	डॉ. वेंकटाचलम .जे, रोधक एवं सामाजिक आयुर्विज्ञान के अपर आचार्य, जिपमेर	सदस्य	बुनियादी चिकित्सा वैज्ञानिक
10	कु. उषा, अधिवक्ता, वी.ओ.सी. नगर, पुदुच्चेरी।	सदस्य	कानून विशेषज्ञ (बाह्य)
11	डॉ. सुमा .एच.वाई, शरीरीक्रिया विज्ञान के आचार्य एवं विभागाध्यक्ष, जिपमेर।	वैकल्पिक सदस्य सचिव	बुनियादी चिकित्सा वैज्ञानिक
12	डॉ. संध्या .एस, अपर आचार्य, भेषजगुण विज्ञान विभाग, जिपमेर।	सदस्य सचिव	बुनियादी चिकित्सा वैज्ञानिक

इसे निदेशक महोदय के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

टी. एम.

(टी. मुरुगवल्ली)

प्रशासनिक अधिकारी

admn2permission@ipmer@gmail.com

दूरभाष सं. 0413-2296025

सेवा में

उपरोक्त संबंधित अधिकारी (क्रम. 01 से 12)

प्रति प्रेषित

1. निदेशक/चिकित्सालय अधीक्षक/संकायाध्यक्ष (शैक्षणिक)/संकायाध्यक्ष (अनुसंधान)/ उप निदेशक (प्रशा.) के निजी सचिव।
2. संकायाध्यक्ष (जिपमेर कारैक्कल)।
3. वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी/वरिष्ठ लेखा अधिकारी के निजी सहायक।
4. विधि अधिकारी/संपदा अनुभाग/आई.टी. विंग - जिपमेर वेबसाइट में पब्लिश करने के लिए।
5. सहायक निदेशक (रा.भा.), हिंदी सेल - उर्पयुक्त आदेश की हिंदी रूपांतर को जिपमेर वेबसाइट में अपलोड करने के लिए।